

जयसिंह काटवाल
का
आवासीय
घर

29.9.22 बने पत्रों के आधीवर्ता उपरोक्त
वकील प्रतिवादी साक्ष्य जवाहन शेर
परी करवाने चाहते हैं, जो प्रतिवादी
साक्ष्य कन्ट की जारी है। अदालत
रुखी गई। पत्रावली वाले - निर्णय
दिनांक 06.10.2022 को पेश हों।

GA
BY A

सहायक जज
(S.D.O.) बालोतरा

06.10.22 बने पत्रों के आधीवर्ता उपरोक्त
अदालत शर वेगी पर रुखी गई
की शेर अदालत पर मन्तु किया।
तथा पत्रावली के कॉफेज बापलव
रकई - अन्तर्वेजात व अमानत का
गन्तीला - पूर्वक शरलोफन किया। तथा
तथ्यों का बिच के परिप्रेक्ष्य में
विवेचन किया। यदि पत्र की मुदत
कालावधि है कि वादग्रस्त शरि में
वकील का एक एक व अस्पष्ट - फारत
व वादग्रस्त शरि मुतवली ताराशरि के
गाम इन्त होने के कारण वकील का
वारील होने से 2/3 तैलला वकील
वोचित कवाले काड अदालत के साक्ष्य
कवाले निवेदना जारी कवाले चाहते हैं।

-कमल
राजीव
गंधर्व
D
[Signature]
[Signature]

सहायक जज
(S.D.O.) बालोतरा

तारीख
हुक्म

हुक्म या कार्यवाही मय इतिशियलय जज

अदालत
की तारीख

हुक्म
जबकि - वाद
01 भांगी
आव
*

29.9.22 बोनो पट्टो के आधीवर्ता उपर।

वकील प्रतिवादी साक्ष्य जवाहन हो
गरी कबाने चाहें है, जो प्रतिवादी
साक्ष्य कन्ट की जारी है। बहरन
रुडी गई। पत्रावली वाले निर्णय
दिनांक 06.10.2022 को जमा हो।

सहायक जज
(S.D.O.) बालोतरा

06.10.22 बोनो पट्टो के आधीवर्ता उपर।

बहरन गत वेगी पर रुडी गई
की ओर बहरन पर मनु रिडा।
तथा पत्रावली के कॉफेज बाकल
रकड - अन्तवेजात व अज्ञान का
गम्भीरता - पूर्वक इन्फोफन रिडा। तथा
तथ्यों का बिचि के परिप्रेक्ष्य में
बिबेचन रिडा। जारी पत्र की मुल्क
दलावुमा है कि वादग्रस्त श्राप्ते में
वादीगण का एक एक व अस्पष्ट - फारत
व वादग्रस्त श्राप्ते मुलवकी ताराशत के
नाम इन्ज होने के कारण वादीगण
वारिल होने से 2/3 हिस्सा स्वतरेवरी
होशित कवाने वाद अंतगम के साक्ष
← जारी। निवेदना जारी कवाने माने है।

सहायक जज
(S.D.O.) बालोतरा

-केशरी
राजीव
गंधार
0
अदालत
की तारीख

144/2007

हुकम या कार्यवाही मय इतिशियल्य जज

नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस हुकम
की तामील में जारी हुए

जबकि वादग्रस्त क्राफि तुरिकादी (संख्या
11 मांजीसाब पुत्र तारराफि के नाम
आवगी खातेदारी इन्दाब हो रही
है, और तारराफि के वारिसान
भाग वें के खातेदारी काफेदारी
नहीं दिख जा सकते हैं। क्योंकि
इन्के तमिर वस्तवजी काफज लखते
ले साबित करना पड़ता है। वेला
वादी पक्ष नहीं कर पाजा है और
कंपानात से को उपाधीत नहीं
होता है, कि वादग्रस्त क्राफि 11
वादी का कोई एक दख्क होना
है। केवल मात्र पौरविक कमान से वाद
में कफलता नहीं मिल सकती है।
उपरोक्त विवेचन को स्पष्ट साबित
है, कि वादी पक्ष अपना वाद लाबि
करने में असफल रहे हैं।

बिहाजा वादीगण का वाद साफ
लखते के उभाव के कारण खारिज
मिना जाता है तदुल्लेख इसी पक्ष
जारी हों।

पत्रावली कोकस अउर होकर
कारविल वफतल हों।

सहायक कमिश्नर
(S.D.O.) बालोतरा